करने और शीघ्र निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है ताकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की रोकथाम हो। पिछड़े वर्गों के संरक्षण के लिए भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान उपलब्ध हैं और कानून प्रवर्तन प्राधिकारी उनके मामलों पर कार्यवाही करते हैं।

Constitution of District Forum under Consumer Protection Act

2217. SHRI RAJNI RANJAN SAHU; Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the District Forum under Consumer Protection Act, 1986 are likely to be constituted in Uttar Pradesh and other States as per Direction of the Supreme Court;

(b) if so, whether it is also a fact that the States have not followed the direction of the Supreme Court; and

(c) if so what are the reasons for not complying with the direction of the Sup reme Court?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) to (c) Supreme Court in its hearing dated 19-9-89, 15-11-89 and 17-1-90 has issued directives to States and Union Territories to expedite the setting up of redressal agencies under the Consumer Protection Act, 1986. All the States and Union Territories have initiated action. As per latest information available the redressal agencies have started functioning in 15 States/UTs including Uttar Pradesh. 12 States/UTs have notified them. In addition, Central Government has conveyed its approval to 4 more States and Union Territories to set up these agencies. The Act does not extend to State of Jammu & Kashmir.

रेलवे स्टेशनों का माडल स्टेशनों के रूप में विकास

2218. श्री सत्य प्रकाश मालवीय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन रेलवे स्टेशनों को माडल रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है और इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इलाहाबाद (उ० रे०) और इलाहाबाद (पू० उ० रे०) स्टेशनों को मांडल स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री जार्ज फर्नांडीज) : (क) माडल स्टेशनों की रेलवेवार सूची दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए) इन सभी स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है तथा प्रगति भिन्न-भिन्न चरणों में है। आशा है कि ये कार्य आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक पूरे हो जाएंगे बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। स्टेशनों का आधुनीकीकरण करते समय, सभी बुनियादी सुविधाओं और आवश्यकता पर आधारित कार्य संचालन ढांचे की व्यवस्था करने पर जोर दिया जायेगा, न कि अधिक महंगे अभिकल्प सामग्रियों पर।

(ख) इलाहाबाद (उत्तर रेलवे) और इलाहाबाद (पूर्वोत्तर रेलवे,) दोनों स्टेशनों को माडल स्टेशनों के रूप में विकसित किये जाने के लिए चुना गया है और इन स्टेशनों पर कार्य की प्रगति विभिन्न चरणों में है।